संख्या - 3195अ/चालीस-रा0एकी0-77-6(26)/77

प्रेषक,

श्री धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1)समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
(2)समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
(3)समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 8 नवम्बर, 1977

विषय:- उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट देना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2003/चालीस-रा0एकी0-6-11-77, दिनांक 20 अगस्त, 1977 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान किया गया है और शासन के अर्धशासकीय पत्रसंख्या 2705/चालीस-रा0एकी0-6(11)/77, दिनांक 22 सितम्बर, 1977 तथा शासनादेश संख्या-3242/चालीस-रा0एकी0-77-6 (11)/77, दिनांक 24 अक्टूबर, 1977 के द्वारा इन आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के संबन्ध में भी विशेष निर्देश जारी किए गये हैं । इस संबन्ध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनुरूप ही पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाय । तदनुसार राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए राजकीय सेवाओं में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने के लिए यह आदेश प्रदान करते हैं ।

2- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । इसका मतलब है कि यह लोक सेवा आयोग अथवा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सब सभी परीक्षाओं/चयनों पर लागू होगा जिनमें रिक्तियां अधिसूचित/विज्ञापित/प्रसारित की जा चुकी हैं परन्तु आवेदन पत्रों के

—— 2.

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)
उ०प्र०, लखनऊ

प्राप्ति की निर्धारित तिथि समाप्त नहीं हुई है ऐसे मामलों में आवेदन पत्रों को पुनः प्रस्तुत किए जाने की तिथि यथोचित अवधि तक बढ़ाई जाए, ताकि इस शासनादेश में निर्दिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र देने तथा निर्धारित आरक्षण एवं आयु सीमा से छूट का समुचित अवसर एवं लाभ प्राप्त हो जाय । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन परीक्षाओं/चयनों से संबन्धित रिक्तियों की विज्ञप्ति/अधिसूचना/प्रसारण द्वारा आवेदन देने की अवधि बीत चुकी है, उनपर यह शासनादेश लागू नहीं होगा ।

3- मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि कृपया अपने अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निर्देश दें ताकि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सके ।

भवदीय,

ह0 धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा
(धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या: 3195अ(1)/चालीस-रा0एकी 0-70-64(26)/77, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इन आदेशों का प्रसारण आकाश वाणी/दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी पर्याप्त रूप से करा दें ।
2- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- समस्त हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5- समस्त क्षेत्रीय तथा जिलास्तरीय चयन समितियों के अध्यक्षों तथा सचिवों को ।
6- समस्त मंत्री गण/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी सचिवों को ।
7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
8- गोपन अनुभाग-1,
9- सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
10- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
11- डायरेक्टर आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग ।
12- कार्मिक अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

ह0 धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा
(धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा)
आयुक्त एवं सचिव ।

15/12

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)
उ०प्र०, लखनऊ

---- 3

कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश,

संख्या: जी-1-636/9/मिस-1/77-78

दिनांक: इलाहाबाद: 16 नवम्बर, 1977

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1- अध्यक्ष/सभी सदस्यों के निजी सचिव।

2- सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव। व ॥/सहायक सचिव। व॥ के वैयक्तिक सहायक।

3- समस्त अनुभाग अधिकारी 5-5 प्रतियों के साथ।

आज्ञा से,

S/D

(शंकर दत्त ओझा)

उप सचिव।

अभिप्रमाणित

हुसैन

17-11-77

(अफजल हुसैन)

स० सचिव।

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)

उ०प्र०, लखनऊ